

25.1.21  
(MO)

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/01/2021

क्र. एफ 16-16/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि. द्वारा औ.क्षे. मेघनगर, जिला-झाबुआ में लगभग रूपये 311.65 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फर्टीलाइजर एवं केमीकल परियोजना स्थापना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जायें:-

1. भूमि आवंटन - औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में 160000 वर्गमीटर भूमि के आवंटन में प्रचलित प्रब्याजी में 75 प्रतिशत छूट एवं विकास शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाये।
2. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
3. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
भोपाल, दिनांक 25/01/2021

पृ.क्र. एफ 16-16/2019/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, खनिज साधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला झाबुआ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि., 115-120, एकेव्हीएन इण्डस्ट्रीयल एरिया, मेघनगर, जिला-झाबुआ - 457779।  
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग